Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Appeal No.- 13/2019

Sarita Kumari.....Appellant

Versus

The State of Bihar & Ors..... Respondent.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	18.04.2023	**आदेश** प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक–1213, दिनांक–02.08.2019 मे पारित आदेश के विरूद्ध ससमय दायर किया गया है। अपीलार्थी की उपस्थिति है। उत्तरवादी सं0–06 एवं 07 को सूचना निर्गत करने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए, इसलिए वाद पर एक पक्षीय सुनवाई की गई। अपीलार्थी को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि बाल विकास परियोजना, बनमनखी अंतर्गत ग्राम पंचायत लादूगढ़, वार्ड सं0–01 में सेविका चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में अपीलार्थी एवं अन्य अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन समर्पित किया गया। समर्पित आवेदनों के पश्चात दिनांक–18.09.2017 को आम सभा आयोजित की गयी। मेधा सूची के अनुसार अपीलार्थी के प्रथम स्थान पर रहने के कारण सभी सदस्यों द्वारा सर्वसममति से चयन पत्र निर्गत किया गया। अपीलार्थी के चयनोपरांत मेधा सूची के दूसरी अभ्यर्थी पूनम कुमारी एवं तीसरे अभ्यर्थी अनिता कुमारी द्वारा चयन के विरूद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष परिवाद समर्पित किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा विधिवत सभी पक्षों को सूचना निर्गत करते हुए सुनवाई की गई तथा अपीलार्थी के चयन को रद्द कर दिया गया। विपक्षी द्वारा अपने–अपने परिवाद में चयनित सेविका सरिता कुमारी के विरूद्ध यह आरोप लगाया गया कि उनकी सास मीना देवी वर्त्तमान में वार्ड सदस्य थी तथा सच्चाई को छिपाने के लिए उनके द्वारा दिखावा के रूप में दिनांक–22.08.2017 को वार्ड सदस्य के पद से	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 18.04.2023	त्याग पत्र दे दिया गया एवं दिनांक–27.08.2017 को पुनः त्याग क्रमशः पत्र वापस ले लिया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैध है। इस प्रकार उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया। इनका आगे कथन है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा पारित आदेश विधि एवं तथ्यों के दृष्टि से पोषणीय नहीं है। अपीलार्थी का चयन सेविका/सहायिका मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अंतर्गत चयन समिति के सदस्या के द्वारा विधिवत रूप से इनके मेधा सूची में प्रथम स्थान पर रहने के कारण किया गया है। इन्होने उल्लेख किया है कि सेविका चयन हेतु गठित चयन समिति में उस वार्ड के वार्ड सदस्य अध्यक्ष होते है। लेकिन दिनांक–18.09.2017 को आयोजित आम सभा जिसमें अपीलार्थी का चयन किया गया, उसमें कार्यवाही पंजी पर वार्ड सदस्य (चयन समिति का अध्यक्ष) का हस्ताक्षर नहीं है। इससे स्पष्ट है कि वार्ड सदस्य द्वारा दिनांक–22.08.2017 को ही वार्ड सदस्य के पद से ही त्याग पत्र दे दिया गया था। सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका के अनुसार आम सभा के कार्यवाही पंजी ही सेविका के चयन का मुख्य आधार होता है। अगर उत्तरवादी सं0–06 एवं 07 को उक्त चयन पर आपत्ति थी तो दिनांक–18.09.2017 को आयोजित आम सभा के कार्यवाही पंजी पर आपत्ति दर्ज करानी थी, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इसके विपरीत सर्वसम्मति से अपीलार्थी का चयन कर लिया गया, जो बाद में प्रशिक्षण प्राप्त कर आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन निष्ठापूर्वक कर रही थी। वार्ड सदस्या मीना देवी द्वारा कार्यपालक दंडाधिकारी/लेख्य प्रमाणक के कार्यालय द्वारा शपथ पत्र सं0–13010/2017 दिनांक–19.08.2017 को ही उक्त पद से त्याग पत्र देने हेतु शपथ पत्र समर्पित की थी, जिसे निम्न न्यायालय द्वारा अनदेखी करते हुए आदेश पारित कर दिया गया, जो बिलकुल निराधार है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त कर इनको पुनः सेविका पद पर चयन करने हेतु आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई है।	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 18.04.2023	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा पत्रांक–2046/जि0प्रो0, दिनांक–10.12.2019 द्वारा मंतव्य समर्पित करते हुए स्पष्ट किया क्रमशः गया है कि पंचायत लादूगढ़, वार्ड सं0–01 पर सेविका चयन हेतु कुल 04 आवेदिकाओं द्वारा आवेदन किया गया था। मेधा सूची में सरिता देवी प्रथम स्थान की आवेदिका थी। चुंकि सरिता देवी की सास पंचायत लादूगढ़, वार्ड सं0–01 की वार्ड सदस्य थी एवं आम सभा से पूर्व दिनांक–22.08.2017 को अपने पद से त्याग पत्र दे दिया गया था तथा दिनांक–18.09.2017 को आम सभा में मेधा सूची में प्रथम स्थान की आवेदिका सरिता देवी का चयन सेविका पद पर किया गया। परन्तु मेधा सूची में दूसरी एवं तीसरी स्थान की आवेदिका पूनम कुमारी एवं अनिता कुमारी द्वारा दायर परिवाद पत्र पर लगाये गये आरोप के संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि पंचायत लादूगढ़, वार्ड सं0 01 पर वार्ड सदस्या मीना देवी द्वारा अपनी बहु सरिता देवी का सेविका पद पर चयन करवाने के कारण त्याग पत्र दिये जाने का दिखावा किया गया एवं त्याग पत्र स्वीकृत होने के पूर्व ही त्याग पत्र उनके द्वारा वापस ले लिया गया। ताकि वे वार्ड सदस्य के पद पर बनी रहे एवं उनके बहु का भी चयन सेविका पद पर हो जाये, जो गलतमंशा को दर्शाता है। अतः सेविका/सहायिका मार्गदर्शिका 2016 के कंडिका 06 के आलोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–1213/जि0प्रो0, दिनांक–02.08.2019 द्वारा पंचायत लादूगढ़, वार्ड सं0–01 की चयनित सेविका सरिता देवी का चयन को रद्द किया गया है। विभागीय मार्गदर्शिका 2016 के कंडिका 10 में स्पष्ट निदेश है कि चयन हेतु तैयार पैनल की मान्यता चयन की तिथि एक वर्ष की अवधि तक के लिए रहेगी। उक्त वार्ड पर दिनांक–18.09.2017 को आम सभा कर सेविका चयन किया गया है। अतएव विभागीय मार्गदर्शिका 2016 के कंडिका 10 के अनुसार चयन हेतु तैयार पैनल की मान्यता की अवधि समाप्त हो चुकी है। संबंधित केन्द्र पर सेविका/सहायिका का चयन विभागीय मार्गदर्शिका, 2016 में वर्णित प्रावधान एवं नियमों के अधीन किया गया है। विभागीय मार्गदर्शिका, 2016 के कंडिका 13 में वर्णित प्रावधान के अनुसार	

Web Copy. Not Official.

		जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी। जिला पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा। क्रमशः	
	लगातार 18.04.2022	उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु सेविका चयन की प्रक्रिया 2017 में आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2016 के प्रावधानानुसार शुरू की गई थी। मार्गदर्शिका 2016 के अनुसार चयन प्रक्रिया में अपील की सुनवाई जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता के स्तर से की जानी है तथा उनका आदेश अंतिम आदेश माना जायेगा। उक्त के आधार पर प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए खारिज किया जाता है। अपीलार्थी चाहे तो सक्षम न्यायालय/प्राधिकार में वाद दायर कर सकते है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.